कान्हा समूह के 33 ठिकानों पर इनकम टैक्स की दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी

आमेर के होटल ताज व कुंदन वन भी आयकर जांच के दायरे में

जयपुर। राजस्थान की प्रसिद्ध फूड चेन कान्हा रेस्टोरेंट समूह पर आयकर विभाग (इनकम टैक्स) की छापेमारी गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। यह कार्रवाई बुधवार सुबह करीब 7 बजे एक साथ 33 ठिकानों पर शुरू की गई थी।

आयकर सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में करीब 50 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। साथ ही 8 बैंक लॉकर भी चिन्हित किए गए हैं। जिन्हें खुलवाकर उनमें रखी संपत्ति और दस्तावेजों का मूल्यांकन कराया जाएगा।

वहीं सबसे अधिक 26 ठिकानों पर जयपुर में टीमें जांच में जुटी हैं। इसके अलावा उदयपुर, श्रीगंगानगर, करौली, कोटा, हिंडौन और मुंबई स्थित कार्यालयों व अन्य परिसरों में भी सर्च अभियान जारी है। जयपुर के आमेर स्थित होटल ताज और कूकस के कुंदन वन होटल पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आलीशान होटल भी कान्हा समूह की संपत्ति हैं। आयकर विभाग की टीमें बैंक खातों, डिजिटल रिकॉर्ड, नकदी लेन-देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही हैं। कई महत्वपूर्ण फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डाटा जब्त किए गए हैं। विभाग को बड़े स्तर पर आयकर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

फूड चेन कान्हा रेस्टोरेंट समूह पर आयकर विभाग ने गुरुवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई की।

- बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच तेज
- 50 लाख कैश बरामद, आठ लॉकरों का होगा वैल्यूएशन

आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी

जयपुर। प्रताप नगर थाना इलाके में स्थित आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज को गुरुवार दोपहर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से अफरा-तफरी मच गई। कॉलेज की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें विस्फोट की चेतावनी दी गई थी। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी सांगानेर) हरिशंकर शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 11 बजे आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल ई-मेल पर कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस,एटीएस,डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ता (बीडीएस), फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

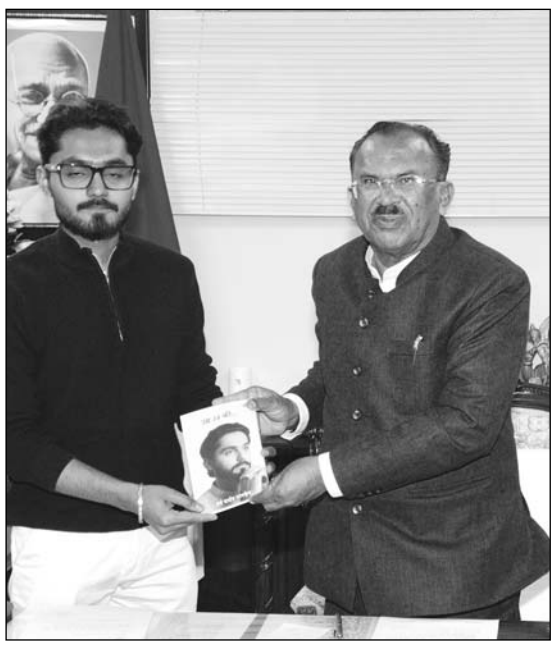

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को युवा लेखक हर्ष वर्धन पाण्डेय ने अपनी नवीन कृति उम्र 18 की पति भेंट की। देवनानी ने युवा लेखक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

हादसे में युवक की मौत

उदयपुर। शहर के प्रतापरगर थाना क्षेत्र में हुए सडक हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार रात में प्रतापनगर थाना क्षेत्र जिंक पुलिया के निचे बाइक पर पावर हाउस की तरफ जाते समय सामने से आ रहे ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चालक कमलेश (25)जणवा निवासी रूण्डेडा गंभीर घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जहां उसकी मौत हो गई। इस पर एएसआई नरपतसिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। कमलेश एनएनटी कंपनी में काम करता था।

दम तोड़ा:- शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में गत दिनों हुए सडक हादसे में घायल गुडली निवासी अनिल पुत्र गिरधारीलाल कुम्हरी की एमबी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई।

प्रदेश के सभी जिलों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे : हाईकोर्ट

जयपुर, 19 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश के सभी 44 जिलों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगते हुए जिलों की विभिन्न टाउनशिप से कचरा हटाने के लिए नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी भी पेश करने को कहा है।

एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश केसर महावीर सेवा ट्रस्ट व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता किंशुक जैन ने अदालत को बताया कि मामले में राज्य सरकार की ओर से पूर्व में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी पालना नहीं की गई है। अदालत ने सीकर जिले के लिए साल 2016 में पेश इस जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दिया था।

- अदालत ने राज्य सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगते हुए जिलों की विभिन्न टाउनशिप से कचरा हटाने के लिए नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी भी पेश करने को कहा है

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 11 मार्च, 2015 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत कचरा निस्तारण के प्रावधान किए गए थे, लेकिन अब तक इन दिशा-निर्देशों की प्रभावी पालना नहीं की जा रही है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से हर जिले में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ ही टाउनशिप से कचरा हटाने के लिए नियुक्ति कर्मचारियों की जानकारी देने को कहा है।

जनहित याचिका में कहा गया था कि सीकर में व्यावसायिक इमारतों और आवासीय इलाकों में रहने वाले लोग जगह-जगह कचरा फेंक देते हैं। वहीं ठोस कचरा प्रबंधन को लागू नहीं करने से बारिश में शहर के हालात विकट हो जाते हैं। पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे प्रदेश स्तर का मामला मानते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था।

देवनानी ने प्रधानमंत्री को सेवा तीर्थ से कार्यारंभ पर दी बधाई

जयपुर। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को सदन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार से नवीन कार्यालय सेवा तीर्थ से कार्य प्रारंभ किया है। देवनानी ने इसके लिए राजस्थान विधानसभा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। प्रधानमंत्री को सदन में विधायकगण ने मेजें थपथपाकर करतल ध्वनि से बधाई दी।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा
- सदन में विधायकगण ने मेजें थपथपाकर करतल ध्वनि से बधाई दी

स्पीकर देवनानी ने सदन में कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ से अपने दायित्वों का निर्वहन प्रारंभ किया है। यह राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण और संकल्प का प्रतीक है। राजस्थान विधान सभा की ओर से उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाइयां। देवनानी ने कहा कि हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज से राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नागरिक देवों भव की भावना से प्रेरित होकर कर्तव्य भवन और लोक कल्याण मार्ग को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री के ये निर्णय सेवा का संकल्प के साथ समाज के हर वर्ग तक पहुंच को साकार करेगा।

विधानसभा में नोहर बाईपास अलाइनमेंट पर बहस

जयपुर। नोहर विधानसभा क्षेत्र में बाईपास सड़कों के बदले गए अलाइनमेंट को लेकर गुरुवार को विधानसभा में पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि नए रोड सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही नया अलाइनमेंट तय किया गया है और कार्य प्रारंभ हो चुका है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि नोहर क्षेत्र में साहवा रोड से सरदारशहर रोड तथा नोहर-पल्लू रोड से रावतसर रोड तक बाईपास निर्माण के लिए 4 सितम्बर 2023 को क्रमशः 219 लाख रुपये और 675 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। दोनों कार्यों का शिलान्यास 7 अक्टूबर 2023 को किया गया था। पूर्व निर्धारित अलाइनमेंट पर डिमार्केशन कार्य शुरू हुआ, लेकिन कुछ काश्तकारों ने आपत्ति दर्ज कराई। बार-बार प्रयासों के बावजूद सहमति नहीं मिलने से भूमि का नामांतरण सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में नहीं हो सका।

- सुरक्षा मानकों के साथ काम शुरू, विपक्ष ने उठाए सवाल

विवाद की स्थिति में साहवा रोड-सरदारशहर रोड का कार्य 15 दिसम्बर 2023 तथा पल्लू रोड-रावतसर रोड का कार्य 8 दिसम्बर 2023 को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अन्य काश्तकारों की सहमति के बाद राजस्व विभाग द्वारा भूमि का नामांतरण किया गया। सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दोनों सड़कों का अलाइनमेंट बदला गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए अलाइनमेंट से लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 27 जुलाई 2024 को इन दोनों बाईपास कार्यों के लिए जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसमें मुख्य अभियंता (पथ), अधीक्षण अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण) बीकानेर और अधीक्षण अभियंता (एनएच) बीकानेर शामिल थे। कमेटी ने 31 जुलाई 2024 को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के जवाब पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है और इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लग चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में दिया जा रहा जवाब गुमराह करने वाला है। जूली ने सवाल उठाया कि किसानों का विरोध किस तारीख को प्राप्त हुआ, यदि लागत बढ़ी है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर तय होगी? उन्होंने कहा कि पहले जहां फ्लाईओवर प्रस्तावित था, अब टी-पॉइंट बनाया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि नए अलाइनमेंट के अनुसार कार्य शुरू हो चुका है और यदि किसी प्रकार की आपत्ति है तो जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले अलाइनमेंट पर भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी। इसलिए व्यावहारिक समाधान के रूप में नया अलाइनमेंट स्वीकृत किया गया है। नोहर बाईपास के बदले अलाइनमेंट को लेकर सदन में हुई इस बहस ने सड़क सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं की पारदर्शिता के मुद्दों को केंद्र में ला दिया।

प्रश्नकाल में केवल प्रश्न-उत्तर, वाद-विवाद नहीं : देवनानी

जयपुर। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज गुरुवार को सदन की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट व्यवस्था देते हुए कहा कि प्रश्नकाल का उद्देश्य केवल सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना है, न कि वाद-विवाद या विस्तृत चर्चा करना। स्पीकर देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें जनप्रतिनिधि सरकार से जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः प्रश्नकाल के दौरान अनावश्यक बहस, आरोप-प्रत्यारोप या विषयांतर चर्चा से बचना चाहिए।

उन्होंने सभी माननीय सदस्यों से कहा कि वे नियमों एवं परंपराओं का पालन करते हुए संक्षिप्त एवं स्पष्ट प्रश्न पूछें तथा मंत्रीगण भी निर्धारित विषय पर सटीक और तथ्यात्मक उत्तर दें. जिससे सदन की कार्यवाही सुचारु, मर्यादित और प्रभावी ढंग से संचालित हो सके। देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इससे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सदन की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

देवनानी ने कहा कि पूर्व में दी गई अध्यक्षीय व्यवस्था में अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से ही संबंधित होना चाहिये। सदस्य को दो ही पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है।

स्लीपर बस ने स्कूल बस को मारी टक्कर, छह बच्चे घायल

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के फुलेरा थाना क्षेत्र में नागौर-फलोदी मेगा हाईवे पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया। खतवाड़ी मोड़ के पास अनियंत्रित स्लीपर बस ने पहले 11 हजार केवी के बिजली पोल को टक्कर मारी। जिससे पोल टूटकर वहां खड़ी स्कूल बस पर गिर गया। इसके बाद स्लीपर बस ने स्कूल बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में छह बच्चे घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह एक स्लीपर बस फरीदाबाद से मकराना शादी समारोह में शामिल होने जा रहे यात्रियों को लेकर जा रही थी। उसी समय एक स्कूल बस बच्चों को लेने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी। सड़क पर बने गड्ढों के कारण जोबनेर की ओर से आ रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पहले बिजली के पोल से टकराई। टक्कर से पोल टूटकर स्कूल बस पर गिर पड़ा और स्लीपर बस बस स्टैंड पर लगी कुर्सियों में जा घुसी। वहां मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई।

इसके बाद स्लीपर बस ने स्कूल बस को पीछे से टक्कर मारी और एक पेड़ से टकराकर रुकी। टक्कर लगने से स्कूल बस में सवार छह बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार बारिश के कारण बिजली लाइन में फाल्ट होने से सप्लाई बंद थी। पोल गिरते समय बिजली बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विधानसभा में ऑनलाइन सट्टा और प्रदूषण पर सरकार घिरी

जयपुर। उद्योग, युवा एवं खेल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान बुधवार को राजस्थान विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सदन में ऑनलाइन सट्टेबाजी, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, स्थानीय रोजगार, औद्योगिक प्रदूषण और खेल ढांचे जैसे मुद्दे छाए रहे।

कांग्रेस विधायक अशोक चाँदनाने ऑनलाइन सट्टे और नशे के बढ़ते चलन को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन गेमिंग और सट्टा कंपनियां युवाओं का शोषण कर रही हैं। चांदना ने कहा कि ऑनलाइन सट्टे में पैसा हारने के बाद युवा कर्ज और नशे की ओर धकेले जा रहे हैं। उन्होंने उच्च ब्याज दरों पर कर्ज देने वालों के खिलाफ अभियान चलाने की मांग की। साथ ही पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि युवाओं को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है।

- विधानसभा में उद्योग व खेल अनुदान मांगों पर बहस

वहीं भाजपा विधायक अर्जुन जीनगरने बड़े उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय संसाधनों का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन रोजगार और ठेके बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं।

जीनगर ने दरीबा स्थित जिंक स्मेल्टर का उल्लेख करते हुए कहा कि खनिज और पानी स्थानीय होने के बावजूद क्षेत्र को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण, भूजल प्रभावित होने और सीएसआर फंड का लाभ स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचने के आरोप भी लगाए।

चर्चा के दौरान भीनमाल से कांठोस विधायक समरजीत सिंहने मोबाइल की बढ़ती लत और युवाओं पर उसके दुष्प्रभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मोबाइल गेम्स के कारण बच्चे आउटडोर खेलों से दूर हो रहे हैं और आत्मघाती प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। उन्होंने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और ठोस नीति बनाने की मांग की।

समरजीत सिंह ने आईपीएल मैचों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इस बार जयपुर में मैच होंगे या नहीं, इस पर संशय है। उन्होंनेका उल्लेख करते हुए कहा कि टीम के नाम में राजस्थान है, लेकिन राज्य को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा। साथ ही उन्होंने खेल ढांचे के बेहतर उपयोग पर जोर दिया।

अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सदन में कई बार तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले। विपक्ष ने जहां युवाओं से जुड़े मुद्दों और प्रदूषण पर सरकार को घेरा, वहीं सत्ता पक्ष ने अपने स्तर पर उठाए गए कदमों का बचाव किया।

प्रमुख स्वास्थ्य सचिव व निदेशक को अवमानना नोटिस

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी सालों से संविदा पर काम कर रहे अभ्यर्थियों को नियमित करने के संबंध में पेश अभ्यावेदन को तय नहीं करने के मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड और स्वास्थ्य निदेशक निदेशक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश रामकन्या व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता चिकित्सा विभाग में सफाईकर्मी, एलडीसी और रेडियोठाफर सहित अन्य पदों पर सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं। संविदा अवधि को देखते हुए उन्हें नियमित नहीं किया गया। इस पर याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर गत 21 नवंबर को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विभाग में अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा था।

'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही सरकार'

जयपुर। विधानसभा परिसर में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने विधानसभा परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ता से काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को किसी भी विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की सूचना मिलती है, वहां संबंधित एजेंसियों द्वारा तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में सामने आए जल जीवन मिशन घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा की गई, जिसमें कई अधिकारियों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी अब तक जांच एजेंसियों की पकड़ में नहीं आ सके हैं, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं ताकि कोई भी दोषी देश छोड़कर भाग न सके।

वकीलों ने गठित की संघर्ष समिति, धरना जारी

जयपुर। शहर के एक निजी अस्पताल संचालक के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीती 16 फरवरी से जारी वकीलों का धरना गुरुवार को भी जारी रहा। वकीलों ने आंदोलन को उठा करते हुए मामले में संघर्ष समिति का भी गठन कर लिया है। वकीलों के धरने के चलते हाईकोर्ट के बाहर मुख्य मार्ग पर बीते चार दिनों से यातायात बंद है।

धरना स्थल पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने पुलिस प्रशासन के साथ छह सूत्रीय मांगों पर सहमति की बात कहते हुए धरना समाप्त करने की बात कही, लेकिन मौके पर मौजूद वकीलों ने आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी तक धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही मामले में आगामी रणनीति तय करने के लिए संघर्ष समिति का गठन भी किया गया। गौरतलब है कि वकील की मां के इलाज में लापरवाही के कारण मौत का आरोप लगाते हुए गत सितंबर माह में अस्पताल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले में पांच माह में भी कार्रवाई नहीं होने पर वकीलों ने बीते सोमवार को चिकित्सक सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन शुरू किया था। वहीं बाद में प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरने में बदल गया था। वकीलों का आरोप है कि अस्पताल ने आरजीएचएस स्कीम का दुरुपयोग करते हुए लाखों रुपए के फर्जी बिल से भुगतान उठाया है। ऐसे में उसके खिलाफ व्यापक स्तर पर जांच की जाए और इलाज में लापरवाही को लेकर दर्ज एफआईआर में उसे गिरफ्तार किया जाए।

जल जीवन मिशन घोटाले में एफआईआर कराने हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल

जयपुर। जल जीवन मिशन घोटाले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल ने हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर की है। याचिका पर हाईकोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।

सुबोध अग्रवाल के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि याचिकाकर्ता सुबोध अग्रवाल का पीएचईडी में 18 अप्रैल, 2022 से कार्यकाल आरंभ हुआ था। वहीं इससे पूर्व में गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल की ओर से इरकॉन के फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर पूर्व आईएएस अधिकारी के कार्यकाल में ही टेंडर प्राप्त कर लिए थे। याचिका में कहा गया कि आरोपी फर्म को दिए गए 95 फीसदी वर्क ऑर्डर तत्कालीन एसीएस की अध्यक्षता में बनी वित्त कमेटी ने स्वीकृत किए थे। केवल दस फीसदी से भी कम वेल्यू के टेंडर की स्वीकृति याचिकाकर्ता के कार्यकाल में दी गई थी। इसके बावजूद भी एसीबी ने इस संबंध में जांच नहीं की। इसके अलावा याचिकाकर्ता की अध्यक्षता में गठित वित्त कमेटी ने स्वीकृत किए गए टेंडर में एक भी पैसा दोनों फर्मों को नहीं दिया गया। जिससे सरकार को याचिकाकर्ता के कार्यकाल में कोई आर्थिक क्षित नहीं हुई। इरकॉन से ईमेल आते ही याचिकाकर्ता ने हाईलेवल कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही याचिकाकर्ता के कार्यकाल में दोनों फर्म का टेंडर निरस्त कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया और अधिकारी विशाल सक्सेना पर भी कानूनी कार्रवाई की गई।

याचिका में यह भी कहा गया कि एसीबी की ओर से विशाल सक्सेना के बयानों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की है। जबकि याचिकाकर्ता ने विशाल सक्सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके चलते वह याचिकाकर्ता से ईर्ष्या रखता है।

राजस्थान हाईकोर्ट में एक दिन बाद फिर मिली बम ब्लास्ट की धमकी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में एक बार फिर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी गई। वहीं मुकदमों की सुनवाई भी आधा घंटा बाद में शुरू की गई।

आए दिन बम ब्लास्ट की धमकी भरा अज्ञात ईमेल मिलने के बाद अब न्यायिक जगत में हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के सामने हालत ऐसे हो गए हैं कि न तो धमकी को हल्के में ले सकते हैं और ना ही सघन जांच में कोई कमी ला सकते हैं, लेकिन हर बार कोई संदिग्ध वस्तू भी नहीं मिलती। इस संबंध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा का कहना है कि अब तो हाईकोर्ट प्रशासन भी धमकी भरा मेल पढने का आदि हो गया है। हर बार मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन पुलिस को सूचना देता है और पुलिस आकर जांच कर चली जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस के आईटी एक्सपर्ट को न तो ये पता चला है कि मेल कौन भेज रहा है और ना ही भेजने जाने वाले स्थान की जानकारी मिली है। आए दिन की धमकी को अब काफी सहजता से ही लिया जाने लगा है, लेकिन इससे मन ही मन भय का माहौल भी है कि कहीं धमकी वास्तविक निकली तो बड़ी घटना हो सकती है।

- मुकदमों की सुनवाई भी आधा घंटा बाद में शुरू की गई

गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन को सबसे पहले गत वर्ष 31 अक्टूबर को बम विस्फोट की पहली धमकी मिली थी। इसके बाद 5 दिसंबर को दूसरी धमकी दी गई। वहीं 8 दिसंबर से लगातार चार दिनों तक बम ब्लास्ट को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को ईमेल भेजे गए। इसके बाद गत छह फरवरी और 17 फरवरी को ब्लास्ट की धमकी दी गई।

विधानसभा में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित

जयपुर, 19 फरवरी।उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (मांग संख्या-56) की 17 अरब 53 करोड़ 05 लाख 98 हजार रुपये की अनुदान मांगें गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दी गईं। बहस का जवाब देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंहने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में औद्योगिक निवेश ने उल्लेखनीय रफ्तार पकड़ी है और राज्य सरकार की दूरगामी नीतियों से सकारात्मक निवेश माहौल बना है। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और प्रतिस्पर्धी लागत के कारण राजस्थान में निर्मित उत्पाद एवं सेवाएं वैश्विक बाजार के अनुरूप बन रही हैं।

- दो साल में निवेश को मिली रफ्तार, 1,600 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन अनुदान वितरित

मंत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्यात, एमएसएमई, हस्तशिल्प, हथकरघा, लॉजिस्टिक्स और 'एक जिला एक उत्पाद' जैसी पहलों सहित 13 नई सेक्टर वाइज नीतियां और योजनाएं लागू की हैं। इन प्रयासों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूती मिली है, वहीं बड़े निवेश के लिए 'राइजिंग राजस्थान' जैसे आयोजनों से सकारात्मक संदेश गया है।

कर्नल राठौड़ ने कहा कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को सुदृढ़ करते हुए इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से 180 सेवाओं में पेपरलेस क्लीयरेंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय इनकी संख्या लगभग 80 थी।

मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार की राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2022 में खामियों के कारण निवेशकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। राज्य सरकार ने इन्हें दूर कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2024 लागू की।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में पूर्ववर्ती सरकार ने लगभग 487 करोड़ रुपये का अनुदान वितरित किया था, जबकि वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में लगभग 1,600 करोड़ रुपये के निवेश प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत किए हैं।

मंत्री ने कहा कि 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों में से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जोधपुर और सीकर सहित विभिन्न जिलों में औद्योगिक परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो गया है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि भूमि आवंटन और भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 99 वर्ष की लीज व्यवस्था में संशोधन कर 33 वर्ष का प्रावधान किया गया है। भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 10 हजार एकड़ का भूमि बैंक तैयार किया गया है, ताकि निवेशकों को त्वरित भूमि उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्रीकी मंशा और मुख्यमंत्रीके नेतृत्व में राज्य सरकार साफ नीति, नीयत और निष्पादन के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है, जिससे राजस्थान निवेश के लिए देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है।

पुलिस कमिश्नर 21 फरवरी को सामुदायिक केंद्र सांगानेर पर करेंगे जनसुनवाई

जयपुर । आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम एवं शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल 21 फरवरी (शनिवार) को दोपहर 12 से 2 बजे तक सामुदायिक केंद्र श्रीराम नगर कॉलोनी सांगानेर (नगर निगम कार्यालय सांगानेर के पीछे) पर उपस्थित रह कर जनसुनवाई करेंगे।इस दौरान सांगानेर सर्किल के सांगानेर,प्रताप नगर,रामनगरिया एवं मालपुरा गेट पुलिस थाने क्षेत्र के परिवादियों की जनसुनवाई की जावेगी। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाना है।